

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक 2918 /स्थापना/विज्ञप्ति/2026


दिनांक :- 25/03/26

// विज्ञप्ति //

- 1) म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12-01-2018 द्वारा मध्य प्रदेश डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 378(B)/स्था./राज/2022 भोपाल दिनांक 12/04/2022 के द्वारा प्राप्त अनुसूची के अनुसार डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है जिस हेतु शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित नवीन टी.ई.क्यू. अनुसार न्यूनतम अर्हताए पूरी करते हों। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम (स्वशासी समिति) चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में दिनांक 13/04/2026 सायं 5:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त विज्ञापन की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.gmcratlam.org एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग की www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं।
- 2) आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से Dean and CEO Dr. Laxminaryan Pandey Government Medical college Ratlam ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 के कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई-मेल आई डी deanratlam@gmail.com पर भी भेजा जाना अनिवार्य हैं।
- 3) आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सहायक प्राध्यापक
सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद

क्र.	विभाग	सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC
1	एनाटॉमी	-	-	-	1
2	फार्माकोलॉजी	-	-	-	1
3	फिजियोलॉजी	-	-	-	1
4	फोरेंसिक मेडिसिन	1	-	-	-
5	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	1	1 (बैकलॉग/कैरीफॉरवर्ड)
6	सर्जरी	-	-	-	1
7	रेडियोडायग्नोसिस	-	-	-	1
8	नेत्र रोग	-	-	-	1
Total - (09)		1	-	1	7


DEAN & CEO
R. L.N.P. Govt. Medical College
Ratlam (M.P.)

सहायक प्राध्यापक
पदोन्नति/सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद

क्र	विभाग	सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	ORC
1	बायोकेमिस्ट्री	1	-	-	-
2	फिजियोलॉजी	1	-	-	-
Total - (02)		2	-	-	-

नोट:-

1) पदोन्नति के रिक्त पदों में कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 378(B)/स्था/राज/2022 भोपाल दिनांक 12.04.2022 में जारी मध्यप्रदेश स्वशासी शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 में नियम 3(ग) के अन्तर्गत जारी अनुसूची क्रमांक 2 की टीप क्रमांक 2 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

1. वेतनमान - नियमित नियुक्ति हेतु
सहायक प्राध्यापक - 15600-39100 + ग्रेड-पे 7000+डी0ए0

टीप - समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

2. आयु सीमा - न्यूनतम
सहायक प्राध्यापक - 25 वर्ष

टीप - आयु की गणना 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. ऑनलाईन आवेदन शुल्क :-


अभ्यर्थी आवेदन शुल्क निम्नानुसार UPI/Net Banking/Chalan/NEFT के माध्यम से जमा कर रसीद की पावती अथवा Payment Screenshot की प्रतिलिपि ऑनलाईन आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

Account Name	-	New Government Medical College Autonomous Society, Ratlam
Account Number	-	37781005358
IFSC Code	-	SBIN0061542
Bank	-	State Bank of India
Branch	-	Medical College Ratlam
Account Type	-	Current Account
MICR Code	-	457002030

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणियों तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 1000/- (एक हजार रुपये मात्र)	रु. 2000/- (दो हजार रुपये मात्र)

4. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।


DEAN & CEO
I.N.P. Govt. Medical College
RATLAM

6. अहंता -

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा नवीनतम गीर्हक के अनुसार रिजिस्ट्रार पद विशेष के लिए निर्धारित अहंता।
- न्यूनतम अहंता विज्ञापन जारी होने की दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अहंता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
- आवेदक के परीक्षार्जन एमएमपी के मादनद्वारा विज्ञापन जारी दिनांक के एक दिन पहले तक के ही मान्य किये जायेंगे तथा Acceptance Publication की मान्य नहीं किया जावेगा।

6. निरहंता -

- विकृत चित्त वाला होने पर।
 - दुरुचरित्र होने पर।
 - शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
 - नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
 - विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
 - कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
 - कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
 - ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
 - स्वास्थ्य संबंधी - चयनित चिकित्सक को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड जिला स्तरलाम द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी।
8. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय स्तलाम में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
9. पदों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
10. किसी भी समय बिना कारण बताये विज्ञप्ति को निरस्त किया जा सकता है।
11. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है, तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
13. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
14. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

DEAN & CEO
H. L.N.P. Gov. Medical College
Ratlam (M.P.) - A

15. नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष तक इस महाविद्यालय में सेवायें देना अनिवार्य होगा। आवेदक को इस बाबत स्टांपित बॉर्ड, नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।
16. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
17. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के लिए आवेदन, Dean & CEO Dr. Laxminarayan Pandey Government Medical college Ratlam ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 को निर्धारित प्रारूप में दिनांक 13.04.2026 सांय 5:00 बजे तक आवक शाखा में जमा कराये जा सकते है। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम,(म.प्र.) में जमा कराये जा सकते है। अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्केन कराकर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई-मेल आई. डी deanratlam@gmail.com पर भी भेजा जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन" एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार के संबंध में आगे की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे समस्त पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
18. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज़ के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें।
19. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
20. उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की वेबसाइट www.gmcratlam.org एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in पद पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले ओर अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

Anita Mutha

डॉ. अनिता मूथा

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा. स्व. चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

DEAN & CEO
R. LN. Gov. Medical College
Ratlam

✱